न्यायालय जिला कलक्टर, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी : टीना डाबी, आई0ए0एस0

विविध रसद प्रकरण सं. 54 / 2023

प्रार्थी–	*बनाम*	अप्रार्थी–
राजस्थान सरकार जरिये प्रवर्तन निरीक्षक, बाड़मेर		श्री किशनाराम पुत्र श्री भींयाराम जाति जाट, निवासी जालीखेड़ा, तहसील गुड़ामालानी, जिला बाड़मेर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955

उपस्थिति :–

1. अभियोजन अधिकारी प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. श्री केसराराम विश्नोई, अधिवक्ता अप्रार्थी उपस्थित।

आदेश

दिनांक : 12.02.2025

1. प्रार्थी की ओर से यह प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत अप्रार्थी के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि दिनांक 20.04.2023 को मै आरजीटी थानाधिकारी श्री ललित किशोर, हमराह श्री कंवराराम, जिला रसद अधिकारी, बाड़मेर एवं श्री दीपक कुल्हार प्रवर्तन निरीक्षक, श्री मगाराम कानिस्टेबल बेल्ट नं. 1722 के साथ मैसर्स कृष्णा हाईवे होटल जालीखेड़ा, गुड़ामालानी सिणधरी मेगाा हाईवे पर पहुँचे। मौके पर होटल मालिक श्री किशनाराम पुत्र श्री भींयाराम उपस्थित मिले एवं उनके सामने दो प्लास्टिक ड्रम एवं प्लास्टिक जरीकन को खोल कर देखा गया। प्रथम दृष्ट्या देखने पर डीजल भरा हुआ लगा, जिसके संबंध में होटल मालिक से पूछताछ करने पर बताया कि उक्त डीजल पैट्रोल पम्प से खरीद कर अपनी गाडियों मे काम लेने हेतु रखा है। मौके पर दो प्लास्टिक ड्रम एवं एक प्लास्टिक जरिकेन मे कुल 150 लीटर डीजल आरजी[illegible] कानिस्टेबल बेल्ट नं. 1022 को सुपुर्दगीनामे पर सुरक्षित रखने हेतु जब्त सरकार कर सुपुर्द किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध [illegible] श्री किशनाराम पुत्र श्री भींयाराम जाति जाट, निवासी जालीखेड़ा तहसील गुड़ामालानी [illegible] बाड़मेर द्वारा बिना लाईसेंस/परमिट के उक्त डीजल अपने कब्जे में रखना, संग्रहण करना तथा विक्रय करना मोटर स्प्रीट और उच्च वेग डीजल (प्रदाय और

Signature Not Verified
Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2025.03.28 10:49:09 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बाड़मेर

वितरण का विनियमन और अनाचार निवारण) आदेश 2005 का उल्लंघन करना पाये जाने से अपराध अन्तर्गत धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 प्रमाणित है। लिहाजा अप्रार्थी किशनाराम के विरूद्ध यह इस्तगासा पेश कर निवेदन है कि प्रकरण हाजा मय जब्तशुदा 150 लीटर डीजल पदार्थ मय दो प्लास्टिक ड्रमों एवं एक प्लास्टिक जरिकेन का नियमानुसार निस्तारण किये जाने के आदेश प्रदान करावें।

2. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जवाब हेतु नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता द्वारा जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त डीजल प्रार्थी ने पेट्रोल पम्प से खरीद कर अपनी गाडी व ट्रेक्टर मे काम लेने हेतु रखा था। अप्रार्थी के विरूद्ध धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम का अपराध ही गठित नहीं होता है क्योंकि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा CRLMP No. 4279/2018 बुधाराम बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान आदेश दिनांक 03.01.2019 को अभिनिर्धारित किया गया है कि 2500 लीटर तक डीजल को रखा जाना कोई अपराध नहीं है। अप्रार्थी के विरूद्ध उक्त परिवाद निरर्थक तथ्यों पर आधारित होने से खारिज किया जावे तथा प्रकरण में जब्तशुदा डीजल व दो प्लास्टिक ड्रम एवं जरिकन को प्रार्थी स्वामी होने से कब्जे में रखने का अधिकारी है।

3. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभय पक्ष को सुना। प्रार्थी की ओर से अभियोजन अधिकारी ने प्रकट किया कि अप्रार्थी श्री किशनाराम पुत्र श्री भींयाराम जाति जाट, निवासी जालीखेड़ा तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर को अवैध रूप से डीजल पदार्थ विक्रय करते हुए पाया गया तथा मौके से डीजल व दो प्लास्टिक ड्रम एवं जरिकन में भरे पदार्थ के बारे में पूछने पर किशनाराम ने डीजल होना बताया। प्लास्टिक ड्रमों की जांच करने पर कुल 150 लीटर डीजल भरा होना पाया गया। उक्त शख्स से डीजल लाने, कब्जा में रखने व बेचान करने बाबत वैध अनुज्ञापत्र भी नहीं होना पाया गया। इसके जवाब में अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता द्वारा प्रकट किया कि उक्त डीजल प्रार्थी ने पेट्रोल पम्प से खरीद कर अपनी गाडी व ट्रेक्टर मे काम लेने हेतु रखा था। अप्रार्थी के विरूद्ध धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम का अपराध ही गठित नहीं होता है क्योंकि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा CRLMP No. 4279/2018 बुधाराम बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान आदेश दिनांक 03.01.2019 को अभिनिर्धारित किया गया है कि 2500 लीटर तक डीजल को रखा जाना कोई अपराध नहीं है। इस प्रकार अप्रार्थी के कब्जे से बरामद किये गये डीजल पदार्थ की मात्रा निर्धारित सीमा के भीतर होने से अप्रार्थी इतना डीजल पदार्थ अपने कब्जे में रखने का अधिकारी होने से माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये अभिमत के

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

Signature Not Verified
Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2025.03.28 10:49:09 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बाड़मेर

परिप्रेक्ष्य में प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत यह परिवाद चलने योग्य होना प्रतीत नहीं होता है। अप्रार्थी द्वारा अपने कब्जे में रखे गये डीजल पदार्थ की मात्रा मोटर स्प्रीट और उच्च वेग डीजल (प्रदाय और वितरण का विनियमन और अनाचार निवारण) आदेश 2005 का उल्लंघन करना नहीं पाया गया है जो आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध हों। ऐसे में अप्रार्थी के विरूद्ध पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में तथा तथ्य की भूल के फलस्वरूप दर्ज कराया गया यह प्रकरण काबिल खारिज है।

4. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप प्रार्थी का यह प्रार्थना–पत्र खारिज किया जाता है। प्रकरण में सीजशुदा उक्त 147 लीटर डीजल व दो प्लास्टिक ड्रम एवं जरिकन को कब्जा सरकार से एत्दद्वारा मुक्त किया जाता है। जिला रसद अधिकारी बाड़मेर को निर्देशित किया जाता हैं कि प्रकरण में सीजशुदा पेट्रोलियम पदार्थ मय प्लास्टिक ड्रम अप्रार्थी को सुपुर्द करें।

5. आदेश आज दिनांक 12.02.2025 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(टीना डाबी)
जिला कलक्टर, बाड़मेर
जिला कलक्टर
बाड़मेर

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

Signature Not Verified

Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2025.03.28 10:49:09 IST
Reason: SelfAttested